झारखण्ड सरकार

**उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग**

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02.त0शि0/योजना–17/2022/19/बजट /राँची, दिनांक– 03.03.2023

प्रेषक,

जार्ज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
तकनीकी शिक्षा निदेशालय,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

विषयः– **राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत लाइन विस्तार तथा परिसर के उपर से गुजरने वाली HT Line को अन्यत्र स्थानांतरित करने हेतु कुल रू0 81,38,348/– (रू0 एकासी लाख अड़तीस हजार तीन सौ अड़तालीस) मात्र की आवंटन की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू संस्थान परिसर के उपर से गुजरने वाली HT Line को अन्यत्र स्थानांतरण तथा संस्थान में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत लाइन विस्तार से संबंधित विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, डालटनगंज का पत्रांक 268 दिनांक 14.02.2023 एवं 267 दिनांक 14.02.2023 के द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए समर्पित प्राक्कलन के आधार पर विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 21/योजना दिनांक 28.02.2023 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, डालटनगंज द्वारा समर्पित प्राक्कलन की विवरणी निम्नवत् है :–

| Sl.No. | Name of Work | Estimate No | Estimated Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Shifting of 33 KV overhead line by U/C double Circuit line and shifting of 11 KV overhead line at Govt. Engg. College, Lesliganj, Palamu under Electric Supply Sub-Division, Daltonganj (R) | Estt. No. 03/ Deposit Head/ESE/ESC, D'ganj/2022-23 | 37,47,385/- |
| 2 | Extension of 11 KV line double Circuit line on PSC Pole 400 K.G W/L in place of single Circuit line on PSC Pole 200 Kg W/L for Providing power supply to Govt. Engg. College & Polytechnic College Lesliganj, Palamu under Electric Supply Sub-Division, Daltonganj (R) | Estt. No. 05/ Deposit Head/ESE/ESC, D'ganj/2022-23 | 43,90,963/- |
| | | Total | 81,38,348/- |

अतः उक्त के आलोक में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के परिसर के उपर से गुजरनेवाली HT Line को अन्यत्र स्थानांतरित करने तथा विद्युत लाईन विस्तार हेतु योजना के लिए कुल राशि रू0 81,38,348/– (रू0 एकासी लाख अड़तीस हजार तीन सौ अड़तालीस) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राशि की निकासी वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेल कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–105– इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06– तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खानन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु निर्माण कार्य इकाई में उपबंधित राशि रू0 66,60,00,000/– में से आवंटित राशि से विकलनीय होगा। विपत्र कोड – 43S420202105060105045

3. विषयांकित कार्य विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, डालटनगंज झारखण्ड द्वारा विभाग को समर्पित प्राक्कलन के अनुसार विहित प्रक्रिया एवं नियमानुसार अनुपालन करते हुए निष्पादित किया जायेगा।
4. राशि का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक निदेशक–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी शिक्षा निदेशालय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अग्रिम निकासी करते हुए झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, डालटनगंज झारखण्ड को Online अंतरण के माध्यम से SBI A/c No.- 39548029519, Branch Code-00061, IFSC Code SBIN0000061, At-Court Compound, Daltonganj, Palamau में जमा करेगें एवं उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार को उपलब्ध कराते हुए एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायगें।
5. प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू दो प्राध्यापकों की समिति बनाकर कार्य संबंधी संयुक्त प्रगति प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी की राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।
7. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एंव व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
8. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
9. उक्त राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।
10. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
11. स्वीकृत राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
12. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

3/3/23
(जार्ज कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–17/2022/19/बजट /राँची, दिनांक– 03.03.2023
प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/23
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 02.त0शि0/योजना–17/2022/19/बजट /राँची, दिनांक– 03.03.2023
प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू/विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, डालटनगंज, झारखण्ड/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/लेखा शाखा/बजट शाखा एवं प्रभारी निर्गत शाखा को गार्ड फाईल में रखने हेतु एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

| | | |
|---|---|---|
| (रवीन्द्र प्र0 बर्णवाल)<br>प्रशाखा पदाधिकारी | (अजय कुमार सिंह)<br>अवर सचिव | 3/3/23<br>सरकार के संयुक्त सचिव |